

लोक सुनवाई का वृत्त।

मेसर्स राणा इंटरप्राइजेज, प्रो०-श्री राणा सौरव, पिता-श्री राणा उदय प्रताप सिंह, ग्राम-करसा कोठी, पोस्ट+थाना-बिक्रम, जिला-पटना द्वारा पटना सोन-03 बालू घाट, मौजा-महाबलीपुर, अंचल-पालीगंज, जिला-पटना के अन्तर्गत परियोजना से संबंधित पर्यावरणीय स्वीकृति के वास्ते पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के अधिसूचना सं०-एस.ओ.1533, दिनांक 14 सितम्बर, 2006 के तहत दिनांक 08.06.2023 को पूर्वाह्न 11:00 बजे अंचल कार्यालय, पालीगंज, जिला-पटना में लोक सुनवाई की गयी।

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार अधिसूचना सं०-एस.ओ. 1533, दिनांक 14 सितम्बर 2006 एवं यथा संशोधित के तहत राज्य स्तरीय पर्यावरणीय समाघात निर्धारण प्राधिकरण, बिहार के द्वारा निर्गत TOR File.No.SIA/1(a)/2246/2023, के आलोक में श्री अमिताभ सिन्हा, अपर जिला दण्डाधिकारी, पटना (जिला पदाधिकारी, पटना के प्रतिनिधि) की अध्यक्षता में बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्सद, द्वारा दिनांक 08.06.2023 को पूर्वाह्न 11:00 बजे अंचल कार्यालय, पालीगंज, जिला-पटना में लोक-सुनवाई आयोजित की गयी। उपस्थिति पंजी संलग्न (अनुलग्नक-1)

इस लोक-सुनवाई की सूचना बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्सद द्वारा दैनिक समाचार पत्रों यथा दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर, हिन्दुस्तान टाइम्स एवं टाइम्स ऑफ इंडिया के माध्यम से दिनांक 03.05.2023 को प्रकाशित की गयी थी (प्रतिलिपि संलग्न)। लोक-सुनवाई के दौरान श्री आशीष कुमार गुप्ता, क्षेत्रीय पदाधिकारी, बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्सद, पटना द्वारा लोक-सुनवाई में उपस्थित जन-समुदाय एवं सभी संबंधित पदाधिकारियों का स्वागत करते हुए पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अधिसूचित पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना सं०-एस.ओ.1533, दिनांक 14 सितम्बर 2006 एवं यथा संशोधित के तहत इकाई के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक-सुनवाई की पृष्ठ-भूमि पर प्रकाश डाला गया। लोक हित में कार्य योजना से संबंधित सुनवाई के उद्देश्य से उपस्थित लोगों को अवगत कराया गया। साथ ही स्थानीय लोगों से पर्यावरण संरक्षण एवं लोक हित के संबंध में सुझाव/विचार/मंतव्य माँगा गया।

लोक सुनवाई कार्यक्रम के अध्यक्ष के अनुमति से परियोजना के पर्यावरणीय सलाहकार श्री नीतीश कुमार ने इकाई की खनन कार्य परियोजना, प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था एवं कॉरपोरेट पर्यावरण जिम्मेदारी (Corporate Environmental Responsibility) आदि के संबंध में आमजनों को विस्तृत रूप से अवगत कराया। इनके द्वारा सूचित किया गया कि खनन कार्य के उपरान्त परिवहन के दौरान उत्सर्जित होने वाले धूल-कण की रोक-थाम हेतु सड़को पर नियमति रूप से जल छिड़काव किया जायेगा। वाहनों पर ओवरलोडिंग नही की जायेगी। वाहनों को तिरपाल से ढक कर ले जाया जायेगा। खनन कार्य सतह से 3 मीटर की गहराई तक या भू-जल स्तर से ऊपर तक किया जायेगा। ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने हेतु ध्वनि यंत्र (हार्न) का न्यूनतम उपयोग किया जायेगा। पुराने एवं खराब वाहनों का इस्तेमाल नहीं किया जायेगा। सड़क के किनारे एवं खनन पट्टा क्षेत्र में वृक्षारोपण (570 नं०) का कार्य किया जायेगा। बालू खनन के दौरान पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के Sustainable Sand Mining Management

परियोजना प्रस्तुततिकरण के पश्चात् उपस्थित महानुभावों द्वारा दिए गए सुझाव/मंतव्य निम्नवतः है:-

क्रमांक	नाम एवं पता	प्रतिक्रिया/सुझाव
1.	श्री संतोष कुमार, ग्राम-महम्मदपुर, जिला-पटना।	इनके द्वारा पूछा गया कि बालू से लदे वाहन चलने से सड़क खराब हो जाता है, उसका मरम्मत कौन करेगा। पर्यावरणीय सलाहकार द्वारा बताया गया कि बालू घाट से मुख्य सड़क तक का पहुँच-पथ का मरम्मत संवेदक द्वारा पाँच साल तक किया जायेगा। एन.एच. एवं एस.एस. का मरम्मत सरकार के द्वारा किया जाता है।
2.	श्री गनौरी सिंह, ग्राम-महाबलीपुर, जिला-पटना।	इनके द्वारा पूछा गया कि स्थानीय लोग को रोजगार मिलेगा या नहीं। पर्यावरणीय सलाहकार द्वारा बताया गया कि प्राथमिकता के आधार पर स्थानीय लोग को उनके योग्यता के आधार पर रोजगार दिया जायेगा। पेड़-पौधों के देखभाल हेतु भी 2 माली स्थानीय लोग ही रहेंगे।
3.	श्री विनोद मिस्त्री, भेड़हरिया इंग्लिश, जिला-पटना।	इन्होंने बताया कि पेड़-पौधों लगेगा तो वायु प्रदूषण कम होगा। वाहन के संतुलन बिगड़ने पर पेड़-पौधो क्षतिग्रस्त हो जाते हैं, उनका भी खयाल रखना चाहिए। पर्यावरणीय सलाहकार द्वारा बताया गया कि संवेदक की जिम्मेवारी पौधा का देखभाल का है। ग्रामीणों का सहयोग भी अपेक्षित है।
4.	श्री नंदलाल यादव, ग्राम-प्रेमन विगहा, जिला-पटना।	इनके द्वारा धूल-कण उड़ने की समस्या के उपाय पूछे गये। पर्यावरणीय सलाहकार द्वारा बताया गया कि पानी का छिड़काव किया जायेगा, बालू लदे वाहन को


		तिरपाल से ढँककर ले जाया जायेगा। ओभर लोडिंग नहीं किया जायेगा, वृक्षारोपण भी किया जायेगा।
5.	श्री राम किशोर शर्मा, ग्राम—महाबलीपुर, जिला—पटना।	इनके द्वारा बताया गया कि ट्रेक्टर चलने से काफी धूल उड़ता है। आम जनता परेशान रहती है। पर्यावरणीय सलाहकार द्वारा बताया गया कि पानी का छिड़काव किया जायेगा, बालू लदे वाहन को तिरपाल से ढँककर ले जाया जायेगा। ओभर लोडिंग नहीं किया जायेगा, वृक्षारोपण भी किया जायेगा।
6.	श्री सोनू कुमार, ग्राम—महाबलीपुर, जिला—पटना।	इनके द्वारा सुझाव दिया गया कि घाट पर श्रमिकों के लिए पीने का पानी एवं शेड (Shed) की व्यवस्था सुनिश्चित कराया जाय।


अध्यक्ष द्वारा बताया गया कि वाहनों से बालू ले जाने के क्रम में नियमित रूप से परिवहन मार्ग पर जल छिड़काव करेंगे एवं बालू से लदे वाहनों को तिरपाल से ढक कर ही ले जायेंगे। बालू की खुदाई 3 मीटर ही करेंगे। उन्होंने उम्मीद जताया कि इकाई प्रबंधन द्वारा इन उपरोक्त बिन्दुओं पर गम्भीरता से ध्यान रखा जायेगा। साथ ही वैज्ञानिक तरीके से बालू खनन का कार्य एवं विभागीय निर्देश का अनुपालन किया जायेगा।

ग्रामीण लोग गाँव की अर्थ—व्यवस्था में भागीदारी बनें। जिला प्रशासन के साथ—साथ गाँव के लोग भी अनुपालन सुनिश्चित करायें।

क्षेत्रीय पदाधिकारी, बि.रा.प्र.नि.पर्षद, पटना के पूछने पर आम जनता द्वारा हाथ उठाकर परियोजना चालू करने की सहमति दी गयी।

जन—सुनवाई के अंत में उपस्थित जनता के सुझाव को संग्रहित करते हुए सर्वसम्मति से बालू घाट के खनन परियोजना को शीघ्र प्रारंभ करने के लिए सक्षम प्राधिकार को अनुशंसा करने का निर्णय लिया गया। तत्पश्चात् लोक सुनवाई सधन्यवाद समाप्त करने की घोषणा की गयी।














क्षेत्रीय पदाधिकारी
बि.रा.प्र.नि.पर्षद, पटना


अपर जिला दण्डाधिकारी
पटना

उपस्थिति सूची

मेसर्स राणा इंटरप्राइजेज, प्रो०-श्री राणा सौरव द्वारा सोन-03 बालू घाट, मौजा-महाबलीपुर, अंचल-पालीगंज, जिला-पटना में आयोजित लोक-सुनवाई के दौरान उपस्थित व्यक्तियों की सूची:

स्थान-अंचल कार्यालय, पालीगंज, दिनांक 08.06.2023 समय-11:00 A.M

क्र०सं०	नाम	पता	हस्ताक्षर
1.	अमिताभ- खिच	ऊपर जिला दण्डाधिकारी, पटना	 08/6/23
2.	आशीष कुमार गुप्ता	क्षेत्रीय पदाधिकारी, बि०रा०७० नि०पद०३, पटना	 8-6-23
3.	कुमार गौरव	स्वनिज विकास पदाधिकारी पटना	 08.06.23
4.	नीलिशा अमात्र	P & M Solutions Raj Barar, Patna.	 Neelisha Amat
5.	रणवीर कुमार	जमीन मालिक पटना	
6.	अंमेषा कुमारी	खान निरीक्षक	 Animesha Kr. 08/06/23
7.	राजेश कुमार	तारपुर	 Rajesh Kumar
8.	आनंद कुमार	बाबाव मीपुर	 Anand Kumar
9.	जितेन्द्र कुमार	तारपुर	 Jitendra Kumar
10.	चन्द्रकान्त कुमार	तारपुर	 Chandrakant Kumar
11.	सुदीप साहू	तारपुर	 Sudip Sahu
12.	मनिषा साहू	तारपुर	 Manisha Sahu

13.	Nilesh Kumar	Taranpur	Nilesh Kumar
14.	Rohit Kumar	Taranpur	Rohit Kumar
15.	Dharmendra Kumar	Taranpur	Dharmendra Kumar
16.	विनेश कुमार	नरगपुर	विनेश
17.	अशोक कुमार	नरगपुर	अशोक कुमार
18.	मंगलेश कुमार	नरगपुर	मंगलेश कुमार
19.	महे कुमार	मधुपन	Mantulund
20.	संतोष कुमार	महमद पुर	संतोष कुमार
21.	विपुल कुमार	महमद पुर	विपुल कुमार
22.	जगदीश कुमार	महमद पुर	840828448
23.	संतोष कुमार	महमद पुर	(Santosh Kumar)
24.	संतोष कुमार	महमद पुर	Santosh Kumar
25.	Ashok Kumar Yadav	Chhitar bigda	Ashok Kumar
26.	जगदीश कुमार	धर प्रभा सिंगहा	जगदीश कुमार
27.	जगदीश कुमार	मेडिया इजलीस	जगदीश कुमार